सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 12/2018

1. लटूर नाथ } पुत्र रतना नाथ जाति नाथ निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील किशनगंज
2. गंगाराम }

......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 26.06.2018

निर्णय दिनांक : 27.06.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि ग्राम श्यामपुरा में खाता संख्या 82 खसरा नं0 20 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 21 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 22 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 23 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 24 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 62 रकबा 1.95 है0, खसरा नं0 63 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 64 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 65 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 66 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 67 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 68 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 69 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 70 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 71 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 72 रकबा 0.16 है0 कुल किता 16 रकबा 6.37 है0 में हिस्सा 1/4 जमाबंदी सम्वत 2073–76 में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी सम्वत 1982 की जमाबंदी में गणेशनाथ बेटा मंगलनाथ हिस्सा 1/2 व देवनाथ सुखनाथ गोरखनाथ भोला नाथ पुत्र बालानाथ व छीतरनाथ पुत्र औंकार नाथ के हिस्सा 1/2 बराबर–बराबर दर्ज रेकार्ड थी। पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है

गणेश नाथ बेटा
↓
धूल्यानाथ
↓
किशनी बाई बेवा
↓

रामकन्या पुत्री किशनी फौत पत्नि रतना नाथ

लटूर नाथ | गंगाराम नाथ

सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी सम्वत 2031–34 में छीतरनाथ पुत्र शंकर नाथ हिस्सा 1/5 कजोड नाथ हिस्सा 1/10 सरवण नाथ, चून्या नाथ पुत्र गोरखनाथ किशनी बेवा धूल्या नाथ हिस्सा 1/2 धन्ना नाथ पुत्र हजारी नाथ हिस्सा 1/5 दर्ज है। जबकि जमाबंदी सम्वत 1982 की जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाना धूल्या नाथ के पिता गणेश नाथ पुत्र मंगलनाथ के हिस्सा 1/2 में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/2 दर्ज किया जावें अतः ग्राम श्यामपुरा में खाता संख्या 82 खसरा नं0 20 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 21 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 22 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 23 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 24 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 62 रकबा 1.95 है0, खसरा नं0 63 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 64 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 65 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 66 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 67 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 68 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 69 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 70 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 71 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 72 रकबा 0.16 है0 कुल किता 16 रकबा 6.37 है0 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/2 दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 26.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/10 दिनांक 27.06.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी लटूरनाथ पुत्र रतना जाति नाथ वगै0 द्वारा ग्राम श्यामपुरा की खाता संख्या 82 पर खसरा नं0 20/0.25 है0 कुल किता 16/6.37 है0 में नाम खातेदार माधोनाथ, प्रभुनाथ पुत्र छीतर केसर पुत्री छीतर भूली बेवा छीतर हिस्सा 1/5 कजोड नाथ हिस्सा 1/10 घांसी नाथ बाबूनाथ पुत्र निर्मला लडकी भूली बेवा सरवन नाथ लटूर नाथ गंगाराम नाथ पुत्र रतना नाथ सा0 पीपल्दा खुर्द हिस्सा 1/2 कांती बाई मंजू बाई पुत्रियां कालूनाथ सूरजा बाई बेवा कालूनाथ हिस्सा 1/5 कोम नाथ सा0देह में दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार सम्वत 1982 अनुसार गणेश नाथ पुत्र मंगल नाथ हिस्सा 1/2 दर्ज था पारिवारिक सजरा अनुसार लटूरनाथ गंगाराम नाथ पिता रतना नाथ माता रामकन्या दर्ज हुआ है अतः अंकन हिस्सा लटूर नाथ गंगाराम नाथ का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए। जमाबंदी सम्वत 1982 अनुसार देवनाथ सुखनाथ गोरखनाथ भोलानाथ पुत्र बालानाथ व छीतरनाथ बेटा औकांर नाथ का हिस्सा 1/2 दर्ज किया हुआ है जबकि

माबंदी सम्वत 2031–34 में गलती से सरवन नाथ चून्या नाथ पुत्र गोरखनाथ को किशनी बेवा धूल्या नाथ जो कि प्रार्थीगण की नानी है के साथ खातेदार हिस्सा 1/2 में दर्ज कर दिया गया।

अतः उक्त सम्पूर्ण खाते में माधोनाथ, प्रभूनाथ लडकी केसर तथा भूली बेवा छीतर हिस्सा 1/4 कजोड नाथ घांसी नाथ बाबूनाथ लडकी निर्मला व भूली बेवा सरवन नाथ हिस्सा 1/8 लटूरनाथ गंगाराम नाथ पुत्र रतना नाथ सा0 पीपल्दा खुर्द तहसील किशनगंज हिस्सा 1/2 कांती बाई मंजू बाई पुत्रियां कालूनाथ सूरजा बाई बेवा कालूनाथ हिस्सा 1/8 कोम नाथ सा0 देह दर्ज करना उचित है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने ग्राम श्यामपुरा में खाता संख्या 82 किता 16 रकबा 6.37 है0 में हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की उक्त सम्पूर्ण खाते में माधोनाथ, प्रभूनाथ लडकी केसर तथा भूली बेवा छीतर हिस्सा 1/4 कजोड नाथ घांसी नाथ बाबूनाथ लडकी निर्मला व भूली बेवा सरवन नाथ हिस्सा 1/8 लटूरनाथ गंगाराम नाथ पुत्र रतना नाथ सा0 पीपल्दा खुर्द तहसील किशनगंज हिस्सा 1/2 कांती बाई मंजू बाई पुत्रियां कालूनाथ सूरजा बाई बेवा कालूनाथ हिस्सा 1/8 कोम नाथ सा0 देह दर्ज करना उचित बताया है अतः मुताबिक रेकार्ड एवं तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम श्यामपुरा में खाता संख्या 82 किता 16 रकबा 6.37 है0 आराजी में माधोनाथ, प्रभूनाथ लडकी केसर तथा भूली बेवा छीतर हिस्सा 1/4 कजोड नाथ घांसी नाथ बाबूनाथ लडकी निर्मला व भूली बेवा सरवन नाथ हिस्सा 1/8 लटूरनाथ गंगाराम नाथ पुत्र रतना नाथ सा0 पीपल्दा खुर्द तहसील किशनगंज हिस्सा 1/2 कांती बाई मंजू बाई पुत्रियां कालूनाथ सूरजा बाई बेवा कालूनाथ हिस्सा 1/8 कोम नाथ सा0 देह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प शाहपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।